# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

| प्रकरण संख्या | GCMS.No. | दर्ज दिनांक | फैसल दिनांक |
|---|---|---|---|
| 02/2018 | 2018/00095 | 28.06.2018 | 26.02.2021 |

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़ :– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री प्रकाश चन्द भोई पिता नन्दाराम भोई मानपुरा रोड, प्रतापगढ़ :– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं

–: आदेश :– दिनांक 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.04.2018 को सांय 5.15 बजे घरेलु गैस सिलेण्डर्स के व्यावसायिक उपयोग की जांच हेतु राज्य सरकार के सुरक्षा पखवाडा मनाये जाने के लिखित आदेश दिनांक F-17/(2)खा./वि./न्याय/2000 दिनांक 26.03.2018 की पालना में श्री सुखाराम जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ श्री तरूण पालीवाल, आद्या इण्डेन गैस श्री अभिषेक शर्मा, HP प्रिया गैस, प्रतापगढ़ हमराह के नल चौराहा पर स्थित प्रकाश टी स्टॉल की जांच करने पहुंचे। मौके पर प्रकाश चन्द्र भोई उपस्थित मिले। व्यावसायिक परिसर की जांच पर स्टॉल में 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये। उक्त स्टॉल पर चाय का व्यापार किया जाता है। वक्त जांच घरेलु गैस सिलेण्डर के कागजात जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। घरेलु गैस का संग्रहण व्यावसायिक परिसर में किए जाने से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) का उल्लंघन पाये जाने से 02 सिलेण्डर मौके पर सीज कर श्री तरूण पालीवाल, आद्या इण्डेन गैस प्रतापगढ़ की सुपुर्दगी में संभलवाया गया। खुर्द–बुर्द नहीं करने पाबंद किया गया। निरीक्षण पर्चा व फर्द अमिग्रहण व सुपुर्दगीनामा 1955 की धारा 6 ए में में जप्त 02 सिलेण्डर राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिकी किये जाने पर मौके पर तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गई :–

| क्रं.सं. | कम्पनी | S.R.No | मानक भार किग्रा | कुल वजन किग्रा | टेयर वजन किग्रा | शुद्ध LPG किग्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDANE | 504952 | 29.800 | 15.600 | 15.800 | 0.200 |
| 2 | INDANE | 579076 | 29.700 | 15.500 | 25.700 | 10.200 |

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 02 सिलेण्डर को राजसात (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद



जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

तामील रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हो जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया न्यायहित में अवसर प्रदायगी उपरान्त अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल अप्रार्थी पेरोकार को उपलब्ध कराई गई तथा प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/फर्म किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग उपभोग व्यवसायिक प्रयोनार्थ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध बाजार रहते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवासायिक प्रयोजन में लाते हुए सरकार की गाईड लाईन अनुसार घर का रसोई घर ही उपयुक्त स्थान नियत है। अतः प्रार्थपा पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैध रूप से संकलित 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने अनुमती प्रदान कराया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रकम में दौराने बहस उपस्थित अप्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के रिश्तेदार द्वारा गैस की टंकी रखकर सामान लेने बाजार गये थे। एवं उक्त दोनों सिलेण्डर मेरे नहीं थे । अतः मेरे गैस सिलेण्डर प्रदान करावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा दिनांक 03.04.2018 के दौरान वक्त मौका निरीक्षण एवं बाद जांच कार्यवाही तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती 02 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवासायिक प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लाया जाना प्रतीत होता है तथा उक्त समस्त गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती अनुसार उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग होना दर्शित रिकार्ड पाया है इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत समुचित कार्यवाही योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 03.04.2018 को अप्रार्थी के यहाँ से फर्द जब्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को अन्तिम रूप से राजसात किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़